दयाराम और अन्य

बनाम

दौलतशाह और अन्य

जनवरी 8, 1971

[जे.सी.शाह, सी.जे.के.एस हेगडे और ए.एन.ग्रोवर, जे.जे.]

मध्यप्रदेश मालिकाना अधिकारों का उन्मूलन (संपदा, महल, अलग की गई भूमि) अधिनियम 1,1951-एसएस 3, 14-एस, धारा 14 का दायरा-धारा का उद्देश्य केवल राज्य-धनोरा-जमीदारी के आधार पर भूमि में मालिकाना अधिकार निर्धारित करना है वंशज वंशानुक्रम द्वारा उत्ताधिकार-निकटतम पुरूष रिश्तेदार का मतलब सबसे बडा पुरूष रिश्तेदार नहीं है।

चंदा पेटेंट और वाजिबुल अर्ज में दर्ज शर्तो के तहत धनोरा जमींदारी निष्प्रभावी थी और धारक की मृत्यु पर यह उसके सबसे बडे बेटे को हस्तांतरित होती थी और वैध या दत्तक पुत्र की अनुपस्थिति में यह निकटतम पुरूष रिश्तेदार को हस्तांतरित होती थी। जमींदारी का उत्तराधिकार वफादारी, अच्छे पुलिस प्रशासन और संपत्ति में सुधार की शर्तों का पालन करने के लिए अयोग्य पाये गये व्यक्ति को बेदखल करने की

राज्यपाल की शक्ति के अधीन था। प्रतिवादी ने जमीदारी सहित कुछ अचल संपत्तियों पर कब्जा करने व मालगुजारी भूमि के संबंध में मुआवजे की वसूली के लिये एक कार्यवाही शुरू की, जो मध्यप्रदेश के मालिकाना अधिकारों (संपदा, महल, अलग की गई भूमि) अधिनियम, 1951 के

उन्मूलन के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं को भुगतान किया गया था। उन्होंने वसीयत के तहत जेष्ठाधिकार और अन्य संपित्तयों के नियम पर भरोसा करते हुये जमींदारी का दावा किया। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमें का फैसला सुनाया और उच्च न्यायालय ने थोडे से संशोधन के साथ डिक्री की पुष्टि की। इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं ने आग्रह किया कि

(1). जमींदारी धारक की मृत्यु पर उस पुरूष रिश्तेदार को हस्तांतरित की जाती है जो उम्र में सबसे वरिष्ट है और वरिष्ट वंश में सबसे बडा सदस्य नहीं है,

(2). राज्यपाल के आदेश से जमींदारी प्रथम अपीलकर्ता को प्रदान की गई क्योंकि वह जमींदारी रखने के लिए उपयुक्त पाया गया था और चूंकि राज्यपाल के पास विरासत निर्धारित करने की शक्ति थी और किसी व्यक्ति को हटाने का अधिकार था, इसलिये जमींदारी धारक के पास महज एक जीवन हित था, और

(3). मुआवजा अधिकारी ने धारा के तहत अपने आदेश से निर्णय लिया था। अधिनियम 14 में कहा गया है कि मालगुजारी भूमि के संबंध में मुआवजा प्रथम अपीलकर्ता को देय था और चूंकि निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस निर्णय को रद्द करने के लिए वादी द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था, इसलिये मुआवजा अधिकारी का आदेश अंतिम और निर्णायक बन गया। माना गयाः (1) अभिव्यक्ति "निकटतम पुरूष रिश्तेदार" के उपयोग से अकेले वंशानुगतता का परीक्षण लागू किया जा सकता है और जब दो या दो से अधिक दावेदार समान पूर्वज से समान रूप से हटा दिये जाते हैं तो

सबसे वरिष्ठ पंक्ति में सबसे बडा पुरूष सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। पार्टियों के बीच प्रतियोगिता का निर्णय एक अप्रभावी संपत्ति को नियंत्रित करने वाले वंशानुगत वंशानुक्रम के नियमों के आलोक में किया जाना था। ज्येष्ठाधिकार के नियमों के अनुसार किसी एकल का निर्धारण करने में ज्येष्ठाधिकार के नियमों के अनुसार उत्तराधिकारियों का वर्ग जो संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का हकदार होगा, यदि यह आंशिक है तो पहले नियम पता लगाया जाये, और फिर विशेष् नियम लागू करने वाले एकल उत्तराधिकारी का चयन किया जाना चाहिये। ''निकटतम पुरूष रिश्तेदार'' अभिव्यक्ति के अनुसार जमींदार के सबसे बडे पुरूष रिश्तेदार को संपत्ति सौंपना नहीं था। इसलिये, उच्च न्यायालय का सह मानना सही था कि जमींदारी पहले अपीलकर्ता को छोडकर पहले प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दी गई। [333 सी-एफ]

(2) जमींदार को हटाकर जमींदारी के हितों की रक्षा के लिए असाधारण कदम उठाने की राज्यपाल में निहित शक्ति ने जमींदार की उपाधि को केवल जीवन हित तक सीमित नहीं रखा। शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्यपाल द्वारा एक आदेश का प्रयोग परिवार के रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाना था और चंदा पेटेंट ने अर्द्ध न्याय जाच पर विचार किया। आदेश में यह नहीं कहा गया है कि दावेदारों के अधिकारों के अधिकारों के निर्धारण के लिए कोई जाच की गई थी। [334 जी]

(3) 1951 के अधिनियम 1 की धारा 14 मुआवजा अधिकारी को इसके संचालन द्वारा सरकार में निहित संपत्ति के मालिकाना अधिकारों का

दावा करने वाले व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धी दावों को निर्धारित करने के अधिकार क्षेत्र में निवेश नहीं करती है। अधिनियम 3 धारा 14 का उद`देश्य राज्य के लिए भूमि में केवल मालिकाना अधिकार निर्धारित करना है। [339 डी-ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2433/1966

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नागपुर बैंच के अपील संख्या 113 में, पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 2 अगस्त 1965 से उत्पन्न।

अपीलकर्ता के लिए वी.एस.देसाई, वी.एन. स्वामी, के. राजेन्द्र चैधरी, के.आर.चौधरी

उत्तरदाताओं के लिए एम.एन.फडके और ए.जी. रत्ना पारखी

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

शाह,सी.जे., प्रताप शाह के बेटों दौलतशाह और रनवीरशाह ने वादपत्र के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट अचल और चल संपत्ति (धनोरा की जमींदारी सहित) पर कब्जे की डिक्री के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश चंदा की अदालत में एक याचिका दायर कीं। वादपत्र और मध्यप्रदेश सरकार से प्रतिवादियों द्वारा प्राप्त की गई कुछ भूमि के संबंध में मुआवजे की राशि की वसूली और मध्यप्रदेश के मुनाफे के भुगतान के आदेश के लिए और शेष राशि प्राप्त करने की घोषणा करने वाला आदेश दे रहा हु । भुगतान किया जाना शेष है।

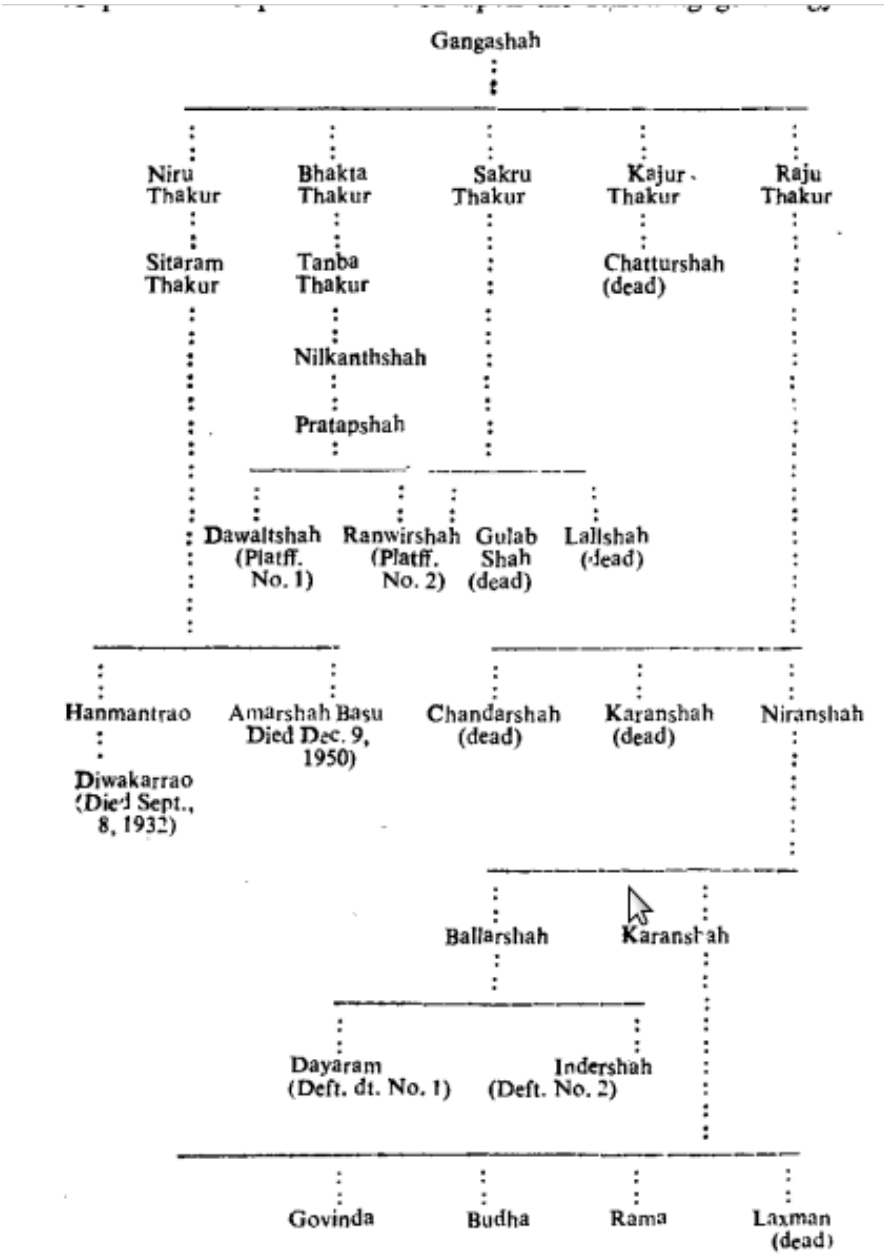

वादी ने दावा किया कि मुकदमें में संपत्ति मूल रूप से गंगाशाह की थी। गंगाशाह के 5 पुत्र थे। हीरू, भक्ता, सकरू, कजूर और राजू। सकरू और कजूर की शाखाएं बहुत पहले ही विलुप्त हो गईं। हीरू की शाखा (जो थी गंगाशाह के 5 पुत्रों में सबसे बडा) क्योंकि 6 दिसंबर 1950 को अमरशाह वसु की मृत्यु के साथ विलुप्त हो गया। वादी ने दावा किया कि ज्येष्ठाधिकार के नियम पर भरोसी करते हुये अमरशाह द्वारा रखी गई जमींदारी और

अमरशाह की अन्य संपत्ति अमरशाह की वसीयत के तहत वसीयत के रूप में थी। 3 दिसंबर 1950 को निष्पादित किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धनोरा जमींदारी अमरशाह के पूर्वज सीताराम को एक अयोग्य संपत्ति के रूप में दी गई थी, जो कि ज्येष्ठ अधिकार के नियम से हस्तांतरित होती थी, कि अमरशाह की मृत्यु पर जमींदारी प्रतापशाह को हस्तांतरित हो गई और प्रतापशाह की मृत्यु पर जमींदारी प्रथम वादी को हस्तांतरित हो गई। वादी ने ये भी दावा किया कि माल गुजारी भूमि सहित अन्य संपत्ति 3 दिसंबर 1950 को निष्पादित वसीयत के तहत उन्हें हस्तांतरित कर दी गई, जिसके तहत अमरशाह ने अपनी संपत्ति उनके पक्ष में कर दी। तदानुसार पहले वादी ने दावा किया कि 27 जनवरी, 1951 को प्रतापशाह की मृत्यु पर वह जमींदारी का हकदार था और वादी ने अमरशाह की अन्य संपत्ति को उसकी वसीयत के तहत वसीयत के रूप में दावा किया। वादी ने प्रस्तुत किया कि दयाराम प्रथम प्रतिवादी ने अमरशाह की जमींदारी और अन्य चल-अचल संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा लिया।

प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में कहा कि वादी द्वारा स्थापित वंशावली तालिका गलत थी, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के 9 नवंबर 1951 के आदेश के अनुसार जमींदारी प्रथम प्रतिवादी दयाराम को प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें इसके लिए उपयुक्त पाया गया था। जमींदारी पर कब्जा रखें और गवर्नर का निर्णय वादी पर बाध्यकारी थी। मालगुजारी भूमि के संबंध में मुआवजा अधिकारी का निर्णय, जो मध्यप्रदेश मालिकाना अधिकार उन्मूलन (संपदा, महलों की हस्तांतरित भूमि) अधिनियम 1,1951 के

अधिनियम के परिणामस्वरूप निहित था। वादी के खिलाफ बाध्यकारी और निर्णायक हो गया था क्योंकि कोई भी मुकदमा नहीं था और निर्णय को चुनौती देना उसकी तारीख से दो महीने के भीतर शुरू किया गया था और वादी उस कारण से मालगुजारी भूमि के संबंध में भुगतान या देय मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं थे कि अमरशाह ने वादीगण द्वारा निर्धारित वसीयत को क्रियान्वित नहीं किया और अमरशाह ने 8 दिसंबंर 1950 को एक वसीयत बनाई थी जिसके तहत उसकी संपत्ति प्रतिवादियों के पक्ष में तैयार की गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने माना कि धनोरा जमींदारी अविभाज्य थी और ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा शासित थी और वादी के पिता प्रतापशाह सामान्य पूर्वज के वंशजों में से सबसे वरिष्ठ शाखा के सबसे बडे सदस्य होने के नाते इसके हकदार थे,जमींदारी की वादी मालगुजारी भूमि के संबंध में मुआवजा प्राप्त करने के हकदार थे और मुआवजा अधिकारी का निर्णय वादी को उन भूमि के अधिकार या उसके संबंध में दिये मुआवजे से वंचित करने के लिए काम नहीं करता था, कि वादी द्वारा स्थापित वसीसत, दिनांक 3 दिसंबर 1950 वास्तविक था और वादी अमरशाह द्वारा उनके पक्ष में तैयार की गई वसीयत के तहत संपत्ति के हकदार थे, कि प्रतिवादियों द्वारा स्थातिप दिनांक 8 दिसंबर 1950 की वसीयत "एक मनगढत वसीयत" थी और प्रतिवादियों को कोई अधिकार या उपाधि प्रदान नहीं की गई थी और यह कि वादी द्वारा स्थापित वंशावली तालिका गंगाशाह के वंशजों के बीच सच्चे संबंध का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रतिवादियों की अपील में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने थोडे से संशोधन के साथ ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। उच्च न्यायालय ने माना कि वादी द्वारा स्थापित वंशावली तालिका सही थी, उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाली प्रथा के अनुसार धनोरा जमींदारी अमरशाह की मृत्यु पर प्रतापशाह को हस्तांतरित हो गई और प्रतापशाह की मृत्यु पर पहला वादी जमींदारी का हकदार बन गया, कि दयाराम की जमींदार के रूप में मान्यता देने का राज्यपाल का आदेश बाध्यकारी और निर्णायक नहीं था क्योंकि यह नहीं दिखाया गया था कि आदेश देने में राज्यपाल ने चंदा पेटेंट द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया था, यह आदेश रीति-रिवाजों और जमींदारी को नियंत्रित करने वाले कानून के विपरीत था। राज्यपाल के निर्णय ने सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं किया कि प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 1950 को स्थापित की गई वसीयत वास्तविक नहीं थी और वादी पक्ष द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 1950 को स्थापित की गई वसीयत वास्तविक थी और यह कि मालगुजारी भूमि के संबंध में वादी का मुकदमा मुआवजा अधिकारी के निर्णय से बाधित नहीं था। तदानुसार उच्च न्यायालय ने चंदा जिले के वजीबुल अर्ज में शामिल विरासत के नियम और 3-दिसंबर-1950 की वसीयत के तहत उत्तराधिकार के आधार पर जवाब देते हुये जमींदारी के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की पुष्टि की। अमरशाह द्वारा धारित कुछ अधिभोग भूमियों को छोडकर अन्य संपत्ति।

उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र के साथ प्रतिवादियों ने इस न्यायालय में अपील की है।

कुछ समवर्ती निष्कर्ष, जिनपर बार में बहुत अधिक बहस नहीं हुई थी पहले सामने रखे जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की सराहना पर ट्रायल कोर्ट से सहमति जताते हुये माना कि वादी द्वारा स्थापित वंशावली पार्टियों के बीच सच्चे रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती है। फिर से उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट से सहमति जताते हुये माना कि वादी द्वारा स्थापित 3 दिसंबर 1950 की वसीयत वास्तविक थी, जबकि प्रतिवादियों द्वारा 8 दिसंबर 1950 की वसीयत वास्तविक नहीं थी। यह तर्क भी उच्च न्यायालय ने वादी द्वारा स्थापित वसीयत से संबंधित अपने निष्कर्ष तक पहुंचने में कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को उचित महत्त्व नहीं दिया। निराधार हैं जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है वे हैं वह लेखन उपकरण जिसके साथ वसीयत का मुख्य भाग लिखा गया था और वह लेखन उपकरण जिसके साथ अमरशाह के अनुसार यह दावा किया गया था कि वसीयत पर हस्ताक्षर किये गये या निष्पादित किये गये थे, वे अलग-अलग थे कि वसीयत पंजीकृत नहीं थी, कि वसीयत की उपस्थिति संदिग्ध थी कि वसीयत अप्राकृतिक थी क्योंकि उसने संपत्ति देने के बाद वादी के पक्ष में संपत्ति तैयार की थी। वसीयतकर्ता की विधवा रत्नाबाई के पक्ष में जीवन हित की वसीयत राजस्व अधिकारियों के समक्ष और मुआवजा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। जब अमरशाह की संपत्ति के विवाद उन अधिकारियों के समक्ष लंबित थी, और यह समर्थक था-अमरशाह की मृत्यु के लगभग सात साल बाद पहली बार यह निष्कर्ष निकाला गया कि वसीयत लिखने वाला मुंषी उस गांव का नहीं था, जहां

का अमरशाह था। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन परिस्थितियों में दिसंबर, 1950 की वसीयत की वास्तविकता के बारे में कोई संदेह पैदा नहीं हुआ। यह देखा जा सकता है कि वादी, अपने पिता (प्रतापशाह) की मृत्यु की तिथि पर नाबालिग थे, और प्रतापशाह की मृत्यु के तुरंत बाद, उनकी मां ने उन्हें छोड दिया और दुबारा शादी कर ली। इसके बाद किसी ने लंबित मुकदमें की सुनवाई नहीं की। राजस्व अधिकारियों के समक्ष वसीयत प्रस्तुत करने में विफलता उच्च न्यायालय के विचार में एक ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जो वसीयत की वास्तविकता के विरूद्ध थी। न्यायालय के विचार में पंजीकरण की अनुपस्थिति, वसीयत की उपस्थिति, उसकी सामग्री, उसके अधीन स्वभाव, और यह तथ्य कि वसीयत का लेखक दूसरे गांव का था, मामले की परिस्थितियों में किसी भी संदेह को जन्म नहीं देता है। हमें नहीं लगता कि अपील में बैठकर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्ष और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किये गये निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित होगा जो तथ्य के प्रष्न पर अनिवार्य रूप से एक निष्कर्ष है।

प्रतिवादियों द्वारा स्थापित वसीयत अमरशाह द्वारा निष्पादित वास्तविक वसीयत साबित नहीं हुई है। यह फिर से दो न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष है और इसे इस न्यायालय में स्वीकार किया जाना चाहिये। हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया गया है। इन निष्कर्षों के आलोक में पार्टियों के अधिकारों का निर्णय किया जाना चाहिये।

पक्षकारों के बीच विवाद संपत्ति के तीन स्तर से संबंधित है।

(ए) धनोरा जमींदारी

(बी) मालगुजारी भूमि

(सी) अधिभोग भूमि और चल संपत्ति

पक्षकारों के पूर्वजों के पास चंदा जिले में व्यापक जमींदारी थी। ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद उस क्षेत्र में राजस्व अधिकारियों ने बंदोबस्ती अभियान शुरू किया। पक्षकारों के परिवार की भूमि और कुछ के बयानों के संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा जाच कराई गई। कुछ सदस्यों का कथन रिकार्ड किया गया। चतुरसिंह पुत्र कजूर ने कहा कि धनोरा की जमींदारी उसके चचेरे भाई सीताराम के नाम पर थी और परिवार के सभी सदस्य संयुक्त थे और जमींदारी से होने वाली आय से अपना भरणपोषण करते थे। सकरू ने अपने बयान में स्वीकार किया कि परिवार में ज्येष्ठाधिकार का नियम प्रचलित है। उन्होंने कहा कि हीरू उनके सबसे बडे भाई थे और सीताराम हीरू के पुत्र थे और जमींदारी प्राचीन काल से ज्येष्ठाधिकार के अव्वल हक के नियम के अनुसार सीताराम के नाम पर दर्ज की गई थी। भले ही वह उम्र में बडे थे, और कोई नहीं था। उसके और सीताराम के बीच कोई झगडा नहीं था और वह और सीताराम संयुक्त रूप में रह रहे थे और जमींदारी से आय ले रहे थे।

बंदोबस्त अधिकारी ने 2 नवंबर, 1867 को एक आदेश दिया कि "जमींदारी प्राचीन काल की है और वर्तमान जमींदार सीताराम ठाकुर ने जमींदार होने का अपना अधिकार साबित कर दिया है। मालिकाना अधिकार

के पेटेंट में शामिल होने वाली शर्तों के अधीन मैं मालिकाना अधिकार प्रदान करता हु, सीताराम ठाकुर पर धनोरा की जमींदारी में। बंदोबस्त अधिकारी ने देखा कि मालिकाना अधिकार प्रदान करना मालिकाना अधिकारों के पेटेंट में सन्निहित शर्तों के अधीन था। यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि सीताराम के पक्ष में एक औपचारिक अनुदान दिया गया था, अनुदान का प्रपत्र जिसे "चंदा पेटेंट" के रूप में जाना जाता है, एचिसन के" , अनुबंध और सनद संग्रह" में पुनः प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय प. 573-574 चंदा पेटेंट के तहत यह घोषित किया गया था कि कार्यकाल अविभाज्य होगा और गैर हस्तांतरनीय होगा। (ऐसे मामले में निकटतम पुरूष अधिकारी का हस्तांतरण मुख्य आयुक्त की मंजूरी के अधीन होगा) भूमि एक व्यक्ति के पास होगी, कुछ समय के लिए जमींदार या जमींदारिन को (प) वफादारी (पप) अच्छे पुलिस प्रशासन और (पपप) संपत्ति में सुधार और खेती की शर्तों पर रखा जायेगा। पेटेंट के तहत धारित जमींदारी के उत्तराधिकार के लिए अनुदान के खंड V VI VII

> "V खंड VI में निहित प्रावधानों के अधीन उत्तराधिकार का क्रम इस प्रकार होगा-जमींदार की मृत्यु पर संपत्ति उसके सबसे बडे बेटे को हस्तांतरित हो जायेगी। पुत्र न होने की स्थिति में और जब गोद नहीं लिया गया हो तो उत्तराधिकार अधिमानतः निकटतम पुरूष रिश्तेदार, विधवा को उचित भरणपोषण प्राप्त करने के लिए हस्तांतरित किया जाना चाहिये।

VI उत्तराधिकार के क्रम में प्रथम होने की स्थिति में स्थानीय सरकार की राय में, खंड IV जमींदारी की शर्तों को पूरा करने के लिए अयोग्य होने पर जमींदारी निकटतम उत्तराधिकारी को हस्तांतरित हो जायेगी जिसके लिये उसकी आवश्यक योग्यता होगी।

VII जमींदार, घोर दुराचार के मामले में, स्थानीय सरकार द्वारा हटाने के लिए उत्तरदायी होगा। उल्लेखः और यदि ऐसे निष्कासन का आदेश दिया जाये तो उत्तराधिकार ऐसा होगा मानो हटाये गये जमींदार की मृत्यु हो गई हो।"

अनुदान की अवधि वाजिबुल-अर्ज में दर्ज की जाती है। वाजिबुल-अर्ज में प्रासंगिक पाठ इस प्रकार हैः

भाग-पहला

सरकार के संबंध में जमींदार के अधिकार और दायित्व

(1) वतन जमींदार का वतन हिस्सेदार नहीं होता और वह अपने बिल्कुल करीबी (निकटतम) पुरूष उत्तराधिकारी के अलावा किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। इस तरह से होने वाले परिवर्तनों को गवर्नर-इन-काउंसिल की मंजूरी मिलनी चाहिये। जमींदारी केवल एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी और जमींदारी वर्तमान में कब्जे वाले जमींदार को सरकार के प्रति वफादार रहने, अपनी संपत्ति का उचित प्रबंधन करने और खेती में सुधार करने की शर्तो पर दी गई है।

(2) उत्तराधिकारी जमींदार की मृत्यु पर संपत्ति उसके सबसे बडे बेटे

को हस्तांतरित हो जाएगी। यदि कोई वैध या दत्तक पुत्र नहीं है तो यह बहुत करीबी (निकटतम) पुरूष रिश्तेदार को हस्तांतरित होगा। यदि उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो गवर्नर-इन-काउंसिल उस परिवार की प्रथा के अनुसार इसका निर्णय करेगा। यदि गवर्नर-इन-काउंसिल को इसका पता चलता है कि पहला उत्तराधिकारी बीएबी (खंड) में बताई गई शर्तों का पालन करने में असमर्थ है,तो जमींदारी आवश्यक योग्यता रखने वाले अधिकतम करीबी (निकटतम) पुरूष उत्तराधिकारी को दी जायेगी।

(3) जमींदार को बेदखल करना और उसके अधिकारों को जब्त कर लेना।

गवर्नर-इन-काउंसिल जमींदार को उसके व्यवहार और बुरे प्रशासन के कारण बेदखल कर सकता है। ऐसी बेदखली कुछ दिनों के लिए या स्थायी हो सकती है। यदि यह कुछ दिनों के लिए है तो डिप्टी कमिश्नर जमींदार की ओर से जमींदारी का प्रबंधन करेगा। और यदि बेदखली का आदेश स्थायी है तो जमींदार को मृत माना जायेगा और उत्तराधिकारी को अधिकार मिल जायेगा। वाजिबुल-अर्ज में प्रविष्टियां चंदा पेटेंट की शर्तों को काफी हद तक पुनः प्रस्तुत करती है जैसा कि एचिसन के "संधि , अनुबंध और सनद का संग्रह के खंड II में निर्धारित किया गया है।

एक मेजर सी.बी.लूसी स्मिथ ने चंदा जिले, मध्य प्रांत, 1869 के भूमि राजस्व निपटान से संबंधित एक रिपोर्ट बनाई। पेज 179 से 180 पर मेजर लूसी स्मिथ ने चंदा जिले की जमींदारियों का उल्लेख किया है।

उन्होंने "जमींदारी" शीर्षक के अंतर्गत बताया है कि "जमीदारियों मेरे द्वारा बसाई गई और अपनाये गये बंदोबस्त के सिद्धांतों को समझाने के लिए सबसे पहले कार्यकाल और इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करना आवश्यक होगा।

गवाही के महत्त्व से पता चलता है कि जमींदार उन लोगों के वंशज हैं जिन्हें देश् के कुछ हिस्से, कमोवेश जंगली, इस उद`देश्य से दिये गये थे कि उन्हें खेती के अधीन लाया जाये और व्यवस्था बनाई रखी जाये। स्वाभाविक रूप से जबकि कानून कमजोर था और इसके प्रशासक दूर थे, जमींदार मौके पर स्वामी के रूप में बडी शक्तियों का प्रयोग करता था, लेकिन शक्तियों को स्पष्ट रूप से गोंड या मराठा सरकार द्वारा कभी मान्यता नहीं दी गई। वह निस्संदेह एक महान व्यक्ति माना जाता था, जो अपने संप्रभू द्वारा आवश्यक होने पर एक छोटी सी टुकडी प्रदान करने के लिए बाध्य था, लेकिन इस धारणा का कोई औचित्य नहीं है कि मिट्टी पर उसका पूर्ण अधिकार था, वास्तव में, जहां तक मेरा अनुभव है, ऐसा अधिकार भारत के इस हिस्से की जातियों के विचारों के लिए विदेशी है। उस समय के शासक स्पष्टतः अपनी इच्छानुसार जमींदारों को बनाते और बिगाडते थे।

इन परिस्थितयों में ऐसा प्रतीत हुआ कि चंदा प्रमुखों के पास, हालांकि देश के कुलीन लोग थे, उनके पास धरती पर कोई पूर्ण अधिकार नहीं था, और इसे प्रदान करना सरकार पर निर्भर था, और इसे प्रदान करने में, ऐसी शर्तें निधारित करना जो उचित समझी जा सके। इसलिए

मालिकाना अधिकार के पेटेंट और जमींदारी के प्रशासन पत्र में शामिल की जाने वाली शर्तों की एक योजना तैयार की गई, जो वास्तव में प्राचीन काल में मौजूद उपयोगों पर आधारित थी और एक अपवाद के साथ, प्रस्तावित व्यवस्थाओं को भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई थी। जिन्होंने निर्देष दिया था कि उन्हें बालघाट जिले की जिम्मेदारियों और जमींदारों पर लागू करने के लिए एक सामान्य माडल के रूप में लिया जायेगा। चुट्टीसगढ की गैर-सामंती जमींदारियो ।

इस प्रावधान को मंजूरी नहीं दी गई कि जमींदार की मृत्यु पर बेटे की चूक की स्थिति में संपत्ति उसकी विधवा को हस्तांतरित हो जानी चाहिये। उत्तराधिकार की यह संहिता चंदा सरदारों के बीच प्राचीन काल से चली आ रही है और यह न केवल उनके बीच बल्कि जिले के सभी वर्गों के भूमिधारकों के बीच भी निहित है। यह विशेष् रूप से गोड महिलाओं के चरित्र के अनुकूल है, हालांकि सरकार ने दिये गये तर्कों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया कि यह गोड महिलाओं के हितों के अनुकूल है। जमींदारों ने कहा कि उत्तराधिकार केवल परिवार के पुरूष सदस्य को ही हस्तांतरित होना चाहिये और धारा को तदनुसार बदल दिया गया।

प्रतापशाह और प्रथम प्रतिवादी दयाराम वंशज थे। गंगाशाह के वंशज थे और वे समान रूप में गंगाशाह से संबंधित थे। लेकिन प्रतापशाह भक्त के वंशज थे और दयाराम राजू के वंशज थे। भक्त दो भाईयों में बडा था। वाजिबुल-अर्ज में कहा गया है कि धनोरा जमींदारी निरर्थक है, धारक की मृत्यु पर यह उसके सबसे बडे बेटे को हस्तांतरित होती है और वैध या

दत्तक पुत्र की अनुपस्थिति में यह निकटतम पुरूष रिश्तेदार को हस्तांतरित होती है। जमींदारी का नियम वंशानुगत वंशानुक्रम के पारंपरिक नियम से काफी मिलता-जुलता है यदि धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई वैध या दत्तक पुत्र नहीं होता है, तो जमींदारी निकटतम डिग्री के सामान्य पूर्वज के वंशज को हस्तांतरित हो जाती है और अधिक वंशज होने की स्थिति में, सामान्य पर्वूज समान डिग्री में होने के कारण वरिष्ट वंश के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, जमींदारी का उत्तराधिकार राज्यपाल की उस शक्ति के अधीन है जो वफादारी, अच्छे पुलिस प्रशासन और संपत्ति के सुधार और खेती की शर्तों का पालन करने में अयोग्य पाये गये व्यक्ति को बेदखल कर सकता है। लेकिन यदि उत्तराधिकार की पंक्ति में निकटतम का चयन नहीं किया जाता है तो संपत्ति निकटतम उत्तराधिकारी को दी जानी चाहिये जिसके पास निर्धारित योग्यताएं हों और वह जमींदार का उत्तराधिकारी हो। जब जमींदार को हटा दिया जाता है तो उत्तराधिकार इस प्रकार होता है मानो हटाये गये जमींदार की मृत्यु हो गई हो। "निकटतम पुरूष रिश्तेदार" अभिव्यक्ति के उपयोग से केवल वंशानुगतता का परीक्षण लागू किया जा सकता हे और जब दो या दो से अधिक दावेदार समान पूर्वज से समान रूप से हटा दिये जाते हैं तो वरिष्ठ नाम पंक्ति में सबसे बडे पुरूष सदस्य को प्राथमिकता दी जायेगी। वादी के दावे पर निर्णय करते समय न्यायालय को यह निर्धारित करना होगा कि क्या वादी के पिता प्रतापशाह, अमरशाह के निकटतम पुरूष रिश्तेदार थे।

अमरशाह की मृत्यु पर दो पुरूष रिश्तेदार थे। वे वादी के पिता

प्रतापशाह और प्रथम प्रतिवादी दयाराम थे। उनके बीच प्रतियोगिता का निर्णय एक अतुल्य संपत्ति को नियंत्रित करने वाले वंशानुगत वंशानुक्रम के नियमों के आलोक में किया जाना था जो अच्छी तरह से स्थापित है।

उत्तराधिकार उन नियमों द्वारा शासित होता है जो आंशिक संपत्ति के उत्तराधिकार को ऐसे संषोधनों के अधीन नियंत्रित करते हैं जो केवल अप्रभावी संपत्ति के चरित्र से प्रवाहित होते हैं। एकमात्र संशोधन जो उत्तराधिकार के अधिकार के संबंध में निष्पक्षता का सुझाव देता है, वह एकल उत्तराधिकारी के चयन के लिए एक विशेष् नियम का अस्तित्व है जब एक ही वर्ग के कई उत्तराधिरी होते हैं जो संपत्ति में उत्तराधिकारी होने के हकदार होते हैं। सामान्य हिंदू कानून के तहत और किसी विशेष् प्रथा के अभाव में, ज्येष्ठाधिकार का नियम वरीयता का आधार प्रदान करता है।

सुव्रयमन्य पंड्या चैक्का तलवार बनाम शिव सुव्रयमन्य पिल्लई ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार एकल उत्तराधिकारी का निर्धारण करने में पहले उन उत्तराधिकारियो के वर्ग का पता लगाना चाहिये जो सम्पत्ति के आंशिक होने पर उस पर उत्तराधिकार पाने के हकदार होगे, और फिर विशेष् नियम लागू करने वाले एकल उत्तराधिकारी का चयन किया जाना चाहिये।

पहले प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि चंदा पेटेंट की शर्तो के तहत जमींदारी धारक की मृत्यु पर पुरूष रिश्तेदार को हस्तांतरित होती है जो उम्र में सबसे वरिष्ठ है, न कि वरिष्ठ पंक्ति में सबसे बडे सदस्य को। चंदा पेंटेट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस विवाद का समर्थन करता हो। "निकटतम पुरूष रिश्तेदार" अभिव्यक्ति के उपयोग से ज्येष्ठाधिकार का नियम

निर्धारित किया गया है, इसका उद`देश्य जमींदार के सबसे बडे पुरूष रिश्तेदार को सम्पत्ति प्रदान करना नहीं है।

वकील ने यह भी कहा कि चंदा पेंटेट की शर्तो और वाजिवल अर्ज में दर्ज शर्तो के तहत राज्यपाल को विरासत का निर्धारण करने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति को हटाने का अधिकार है जो वफादार नहीं है, या सम्पत्ति का प्रबंधन नहीं करता है। खेती में सुधार करे या जो बुरे व्यवहार या बुरे प्रशासन का दोषी है, यह माना जाना चाहिये कि जमींदारी के धारक का केवल जीवन हित है और धारक की मृत्यु पर राज्यपाल उत्तराधिकार के नियमों के साथ लगातार भूमि को फिर से अनुदान देता है। परिवार के सदस्यों के बीच कानून और रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन अच्छे प्रशासन और सरकार के प्रति वफादारी के प्रमुख उद`देश्य के अधीन पहले प्रतिवादी के वकील ने कुछ परिस्थितियों पर भरोसा किया। इसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह स्थापित हुआ कि जमींदार का हित उसके जीवन तक सीमित था और इनकी मृत्यु पर राज्यपाल द्वारा जमींदारी की बहाली और पुनः अनुदान दिया गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि जमींदारी निकटतम पुरूष उत्तराधिकारी को हस्तांतरित और विकसित की गयी थी कि हस्तांतरण के लिये राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक थी, और विरासत दर्ज करने के लिये भी, वफादारी, अच्छा प्रबंधन और खेती में सुधार भूमि धारण करने की शर्ते थीं और यदि जमींदार का व्यवहार असंतोषजनक पाया गया या वह अच्छा प्रशासन करने में सक्षम नहीं था तो उसे हटाया जा सकता था। उस आधार पर वकील ने कहा, सरकार अकेली ही विरासत से उत्पन्न

विवाद का फैसला करने में सक्षम थी। लेकिन धारक को हटाकर जमींदारों के हितों की रक्षा के लिये असाधारण कदम उठाने की शक्ति जमींदार के शीर्षक को केवल जीवन हित तक सीमित नहीं करती है। काश्तकारी की घटनायें जमींदार की सम्पत्ति पर प्रतिबंध हैं, लेकिन वे प्रतिबंध उसे केवल जीवन किरायेदार नहीं बनाते हैं।

चंदा पेंटेट के तहत परिवार के पास मौजूद जमींदारी की जमीन की पुष्टि 1867 में सीताराम के पक्ष में कर दी गयी। उनकी मृत्यु पर वे हनुमंत राव पर समर्पित हो गये। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कोई नया अनुदान दिया गया था। हनुमंत राव की मृत्यु पर भूमि उनके पुत्र दिवाकर राव को हस्तांतरित हो गयी, जिनकी 8 सितम्बर, 1932 को मृत्यु हो गयी। दिवाकर राव की मृत्यु पर बिना किसी पुरूष वंशज को छोडने / मरने पर प्रताप शाह और अमर शाह के बीच विवाद पैदा हो गया। प्रताप शाह ने दावा किया कि वह दिवाकर राव का दत्तक पुत्र है और इस आधार पर वह जमींदारी लेने का हकदार है। एक जांच आयोजित की गयी और यह निर्णय लिया गया कि प्रताप शाह अपने द्वारा स्थापित गोद लेने को साबित करने में विफल रहे। अमर शाह की मृत्यु पर फिर से बिना किसी पुरूष वंश के विवाद उत्पन्न हो गये। इस बात की साक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि क्या सीताराम के पक्ष में कोई औपचारिक अनुदान जारी किया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि क्रमिक जमींदारों के उत्तराधिकारियों की पहचान के साथ नये पेंटेट या अनुदान जारी किये गये थे। उत्तराधिकार को केवल राजस्व अधिकारियों द्वारा मान्यता दी गयी थी। इसलिये यह तर्क दिया कि

अनुदान प्राप्तकर्ता के जीवन भर के लिये था, चंदा पेंटेट की शर्तो, या वाजिवल-अर्ज की प्रवृष्टियों द्वारा समर्थित नहीं है। उत्तराधिकार निर्धारित करने का अधिकार वास्तवः में राज्यपाल में निहित है, लेकिन शक्ति का प्रयोग परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार किया जा सकता है न कि इसका उल्लंघन करते हुये। उत्तराधिकारी का निर्धारण करते समय राज्यपाल नये सिरे से जमींदारी नहीं दे रहा है, वह केवल परिवार की रीति के अनुसार उत्तराधिकारी का निर्धारण करता है। ऐसे धारक को हटाने का राज्यपाल का अधिकार जो अराजक है, या अपनी सम्पत्ति का प्रबंधन ठीक से नहीं करता है या खेती में सुधार नहीं करता है या अन्यथा "बुरे व्यवहार" का है या बुरे प्रशासन का दोषी है, इसमें ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है कि जमींदार केवल उसके जीवन के लिये है। जब जमींदारी के किसी धारक को हटा दिया जाता है, तो राज्यपाल उत्तराधिकार के क्रम में जमींदारी को अगले उत्तराधिकारी को सौंपने के लिये बाध्य होता है। यदि हटाये गये जमींदार की मृत्यु हो गयी हो तो उत्तराधिकारी को अधिकार मिल जायेगा।

वकील ने तब तर्क दिया कि 1950 में अमर शाह की मृत्यु पर दयाराम को उत्तराधिकारी घोषित करने का राज्य पाल का निर्णय किसी भी स्थिति में बाध्यकारी और निर्णायक था और इसे दुबारा नहीं खोला जा सकता था। वकील ने आग्रह किया कि प्रताप शाह और प्रथम परिवादी दयाराम एक ही डिग्री में सामान्य पूर्वज से संबंधित थे और यह राज्यपाल के लिये खुला था कि वह समान डिग्री में अंतिम धारक से संबंधित परिवार

के दो सदस्यों में एक का चयन कर सके। भले ही चयनित व्यक्ति वरिष्ठतम पंक्ति का नहीं था। लेकिन यदि जमींदारी का उत्तराधिकार वंशानुगत ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा शासित होता है, तो वरिष्ठ शाखा के सदस्य की तुलना में किसी शाखा के सदस्य का चयन स्पष्ट रूप से अवैध होगा।

फिर, साक्ष्य इस दृष्टिकोण की पुष्टि नहीं करता है कि राज्यपाल ने चंदा पेंटेट के प्रावधानों या वाजिवुल-अर्ज में दर्ज उत्तराधिकार के नियमों के अनुसरण में कोई आदेश पारित करने का इरादा किया था। राज्यपाल का आदेश दिनांक 9 नवंबर, 1951 को डिप्टी कमिश्नर, चंदा को संबोधित एक ज्ञापन के रूप में हैं और इसमें कहा गया है कि

> "सरकार बल्लारशाह बापू राज गोंड के पुत्र श्री दयाराम बापू को राज्य सरकार में जमींदारी के निहित होेने की तिथि तक चंदा जिले के कारचिरोली तहसील में धनोरा जमींदारी के जमींदार के रूप में मान्यता देते हुये प्रसन्न हैं।"

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि गवर्नर ने अमरशाह के उत्तराधिकारी के निर्धारण के लिए कोई जाॅच की थी। चंदा पेटेंट के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का कथित राज्यपाल का आदेश एक अर्द्ध न्यायिक जाच का संकेत देता है। आदेश यह नहीं दर्षाता है कि परीक्षण करने वाले दावेदारों के अधिकारों का निर्धारण करने के लिए कोई जांच की गई थी या उन्हें कोई नोटिस जारी किया गया था या राज्यपाल द्वारा मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले उनकी बात सुनी गई थी। इस संबंध में दलीलों में कुछ भी नहीं है। राज्यपाल को अर्द्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है, और यदि कोई

विवाद है, तो जाच आयोजित करने के बाद विवाद का निर्णय किया जाना चाहिये और प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप और परंपरा के अनुसार निर्णय पर पहुंचा जाना चाहिये। परिवार एक स्पष्ट कथन है कि "सरकार दयाराम बापू के पुत्र बल्लारषाह बापू को धनोरा जमींदारी के जमींदार" के रूप में मान्यता देने में प्रसन्न हैं, प्रतापशाह के दावे को खारिज करने के कारण का खुलासा नहीं करता है जो परिवार के रिवाज के अनुसा" "

नहीं है कि राज्यपाल को यह भी पता था कि अन्य दावेदार भी थे और क्या उन्हें यह पता था कि उनके दावे क्या थे और राज्यपाल ने दयाराम के दावे को मान्यता देने से पहले उन दावों पर विचार किया था। किसी भी सबूत के अभाव में यह आदेश राज्यपाल द्वारा चंदा पेटेंट द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये दिया गया था, इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या राज्यपाल द्वारा दिया गया कोई भी आदेश पेटेंट की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सिविल न्यायालय पेटेंट के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है। राज्यपाल का निर्णय स्पष्ट रूप से बिना किसी जाच के लिया गया था और स्पष्ट रूप से नियमों के विपरीत था। हिन्दू कानून और परिवार के रीति-रिवाजों के आलोक में ही राज्यपाल स्पष्ट जनादेश के आधार पर दावे पर फैसला देने के लिए सक्षम थे। जिसके प्रकाष में केवल राज्यपाल ही दावे पर निर्णय लेने के लिए स्पष्ट जनादेश के द्वारा सक्षम थे।

यह स्पष्ट है कि जमींदारी के संबंध में नायब तहसीलदार गरचिरोली तहसील के समक्ष नामांतरण की कार्यवाही हुई थी। नायक तहसीलदार ने 9

मई, 1951 को अपने आदेश से माना कि नामांतरण से संबंधित विवाद प्रताप साहब द्वारा उठाया गया था, कि अमरशाह की निःसंतान मृत्यु हो गई थी, कि प्रतापशाह के पुत्र दौलतशाह द्वारा स्थापित वंशावली गलत थी, जो विष्वसनीय साक्ष्यों के अभाव में, कि 1867 के समझौते की प्रतियां केवल इच्छुक व्यक्तियों के बयान थे, कि दयाराम द्वारा दायर वंशावली वृक्ष प्रतापशाह द्वारा दायर वंशावली वृक्ष से मिलता-जुलता था और इसे वास्तविक माना गया कि अमरशाह ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि दयाराम उसके बाद जमींदारी का उत्तराधिकारी था और दयाराम मृतक अमरशाह का निकटतम पुरूष रिश्तेदार था। नायब तहसीलदार का यह निर्णय दयाराम द्वारा प्रस्तुत वंशावली पर आगे बढा, जो इस मामले में ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर भी गलत है। नामांतरण की कार्यवाही में नायब तहसीलदार का निर्णय भी साक्ष्य के रूप में मौजूद है। जब यह साक्ष्य के भौतिक टुकडे पर आधारित हो जो असत्य था, तो सक्ष्य का कोई महत्त्व नहीं है। कार्यवाही उपायुक्त के समक्ष अपील में की गई। डिप्टी कमिश्नर ने 8 अगस्त, 1951 को अपने निर्णय द्वारा आदेश की पुष्टि की। उन्होंने दयाराम द्वारा स्थापित वंशावली को भी स्वीकार किया और माना कि शाखा में कोई अन्य करीब पुरूष वंशज नहीं थे और प्रतापशाह दयाराम से एक डिग्री अधिक दूर थे। राजस्व अधिकारी द्वारा जिस वंशावली पर भरोसा किया गया था, उससे जुडी दुर्बलता को देखते हुये उस निर्णय का साक्ष्य संबंधी महत्त्व भी बहुत कम है।

राज्यपाल और राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेश रिश्तेदारी के प्रष्न पर निर्णय लेने के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर नहीं करते हैं। उस दृष्टिकोण से हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि मूल रूप से सीताराम के पक्ष में पुष्टि की गई। जमींदारी वाजिवल-अर्ज में दर्ज कार्यकाल के अनुसार पहले वादी दौलतशाह को हस्तानांतरित होनी चाहिये और पहले प्रतिवादी दयाराम को बाहर करना चाहिये।

अमरशाह की मृत्यु के बाद से मालगुजारी भूमि पर अधिकार मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, पृथक भूमि) अधिनियम 1, 1951 द्वारा समाप्त हो गया। मालगुजारी भूमि 3 दिसंबर 1950 की वसीयत में निहित नियम के अनुसार है। वादीगण को इसलिये भूमि के संबंध में मुआवजा वादी का होगा लेकिन यह आग्रह किया जाता है कि नियुक्ति के बावजूद 1951 के अधिनियम 1 की धारा 14 के तहत दावा अधिकारी के आदेश के कारण, वादी उत्तराधिकार के प्रष्न पर आंदोलन करने के हकदार नहीं थे। अधिनियम के 3 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ठ की जाने वाली तारीख से, किसी संपत्ति, महल, अलग गांव या अलग की गई भूमि में सभी मालिकाना अधिकार, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचना में, ऐसी संपत्ति, महल, अलग किये गये गांव, अलग की गई भूमि के मालिक में निहित होना, या मालिक के माध्यम से ऐसे मालिकाना अधिकार में रूचि रखने वाले व्यक्ति में निहित होना ऐसे मालिक या ऐसे अन्य व्यक्ति से पारित हो जायेगा और राज्य में निहित हो जायेगा। राज्य के उद`देश्य सभी

बाधाओं से मुक्त हैं। धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर भूमि को सरकार में निहित करने के परिणामों को निर्धारित करती है। धारा 8 प्रत्येक मालिक को देय मुआवजे के आंकलन का प्रावधान करती है जो मालिकाना हक छीन लिया गया । मुआवजे का निर्धारण अनुसूची में निहित नियमों के अनुसार किया जाना है। धारा 12 के लिए आवश्यक है कि एक मालिक जो एस-प्रथम के तहत जारी अधिसूचना के आधार पर मालिकाना अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। ऐसी अवधि के भीतर, जो निर्धारित की जा सकती है, निर्धारित फार्म में दावे का विवरण दाखिल करेगा और उसमें उल्लिखित विवरण निर्दिष्ट करेगा। धारा 13 मुआवजा अधिकारी को मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए अधिकृत करती है। धारा 14 प्रदान करती है कि

> "(1) मुआवजा अधिकारी द्वारा जाॅच के दौरान धारा 3 के तहत विनिवेषित किसी भी संपत्ति में मालिकाना अधिकार के संबंध में कोई प्रष्न उठाया जाता है और ऐसा प्रष्न पहले से ही सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, क्षेत्राधिकार के तहत मुआवजा अधिकारी ऐसे प्रष्न की गुणों की संक्षेप में जाच करने के लिए आगे बढेगा और जैसा वह उचित समझेगा वैसा आदेश जारी करेगा। (2) उपधारा (1) के तहत मुआवजा अधिकारी का आदेश किसी अपील या पुनरीक्षण के अधीन नहीं होगा, लेकिन कोई भी पक्ष ऐसे आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर सिविल

कोर्ट में अपील सकता है। आदेश को रद्द करने के लिए सिविल न्यायालय में एक मुकदमा दायर करें और ऐसी अदालत का निर्णय मुआवजा अधिकारी पर बाध्यकारी होगा, लेकिन ऐसे मुकदमें के परिणाम के अधीन, यदि कोई हो, मुआवजा अधिकारी अंतिम और निर्णायक होगा।"

दयाराम के वकील ने आग्रह किया कि मुआवजा अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30, अगस्त 1951 द्वारा निर्णय लिया था कि मालगुजारी भूमि के संबंध में मुआवजा दयाराम को देय था और चूंकि उस निर्णय को रद्द करने के लिए वादी द्वारा कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया था, इसलिये मुआवजा अधिकारी का आदेश अंतिम और निर्णायक बन गया और उस तारीख के 6 साल से अधिक समय बाद दायर किये गये मुकदमें में इसे दुबारा नहीं खोला जा सका। हम उस विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। मुआवजा अधिकारी केवल धारा के तहत विनिवेषित संपत्ति में मालिकाना अधिकार के संबंध में एक प्रष्न तय करने का हकदार है। धारा-3 के तहत, वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य निजी विवाद से संबंधित किसी भी प्रष्न के निर्धारण से चिंतित नहीं है जो मुआवजे के मामले में अपने संबंधित स्वामित्व पर भरोसा करते हुये प्रतिस्पर्धी दावें करते हैं। मालिकाना अधिकारों के संबंध में एक प्रष्न केवल सामान्य तौर पर केवल राज्य के खिलाफ एक दावे में उठाया जा सकता है और यदि उस दावे का फैसला मुआवजा अधिकारी द्वारा आयोजित एक सारांष जाच में दावेदार के खिलाफ तय किया जाता है। निर्णय को रद्द करने के लिए एक

मुकदमा दायर किया जा सकता है। उस तारीख से दो महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिये और यदि कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता है तो आदेश अंतिम और निर्णायक हो जाता है। धारा-14 को मालिकाना अधिकारों के दावों के संबंध में विवाद को समाप्त करने की दृष्टि से अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत जारी अधिसूचना के आधार पर अंतर्गत धारा 3 में समाप्त कर दी गई है। धारा 14 के तहत एक आदेश का उद्देश्य अपील के अधिकार के बिना एक सारांष जांच में एक राजस्व अधिकारी के निर्णय द्वारा स्वामित्व के जटिल प्रष्नों को निर्धारित करना और उसके निर्णय को निर्णायक बनाना नहीं है, जब तक कि दो महीने के भीतर मुकदमा दायर न किया जाये। आदेश की तारीख से यह भी स्पष्ट है कि धारा की शर्तें 1951 के अधिनियम 1 का 35 (7) जो प्रदान करता है

> "इस अधिनियम के तहत किसी मालिक के लेनदारों या मालिक को निर्धारित तरीके से मुआवजे का भुगतान, मालिकाना अधिकारों के विनिवेश के लिये मुआवजे का भुगतान करने के सभी दायित्वों से राज्य सरकार की पूर्ण मुक्ति होगी, लेकिन इससे कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। उक्त अधिकारों के संबंध में कोई भी अधिकार जिसके लिये कोई अन्य व्यक्ति कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ लागू करने का हकदार हो सकता है, जिसे पूर्वोक्त मुआवजे का भुगतान किया गया है।"

मुआवजे के अधिकार के संबंध में विवादित प्रष्नों का निर्धारण करने

के लिए सिविल न्यायालयो को सक्षम घोषित किया गया है। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि धारा 1951 के अधिनियम 1 का 14 मुआवजा अधिकारी को धारा के संचालन द्वारा सरकार में निहित संपत्ति के मालिकाना अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्तियों कें प्रतिस्पर्धी दावों को निर्धारित करने के अधिकार क्षेत्र में निवेश नहीं करता है। अधिनियम 3, धारा 14 का उद`देश्य राज्य के लिए भूमि में केवल मालिकाना अधिकार निर्धारित करना है।

अंततः यह आग्रह किया गया कि ट्रायल कोर्ट को रूपये 10,000/- मासिक लाभ के रूप में और भले ही उच्च न्यायालय ने कुछ वस्तुओं के संबंध में वादी के दावे को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकृत दावे के अनुरूप दिये गये औसत लाभ की कुल राशि में कोई कमी नहीं की गई। वादी के वकील ने स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय ने वादी को दिये जाने वाले मध्यवर्ती लाभ की रषि को कम न करके गलती की थी। वह इस बात से सहमत है कि रूपये के आंकडे के बजाय वादी को पुरस्कार स्वरूप 10,000/-रूपये से 8,000/- रूपये प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये। हम दिये गये मध्यवर्ती लाभ को संषोधित करते हैं। इस संशोधन के अधीन यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश कुमार सांवरिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***